न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

<u>आदेश</u>

विभाजन वाद संख्या 181/1989

दिनांकः 01.11.2023 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी संख्या 3 अमर साह की तरफ से दिनांक 26.08.2022 को प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत मामले में वादी संख्या 03 अमर साह का कथन है कि न्यायालय में दिनांक 08.08.2022 को इस वाद में तिथि निर्धारित थी और उस दिन एक सुलहनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वादी संख्या 03 का कथन है कि वह सुलहनामा जाल फरेब करके दाखिल किया गया है। वादी संख्या 3 ने न तो खुद उस पर अपना हस्ताक्षर किया है और न ही अपने अधिवक्ता को ऐसे किसी सुलहनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा है यह कि यह हस्ताक्षर जाल फरेब से किया गया है अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वाद में दिनांक 08. 08.2022 दाखिल सुलहनामा को खारिज फरमाया जाए।

प्रतिवादी की तरफ से इस संबंध में मौखिक बहस करते हुए कहा गया है कि ऐसा कोई फर्जी हस्ताक्षर नहीं कराया गया है अतः आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

पत्रावली का अवलोकन किया । प्रस्तुत मामले में वाद विगत 34 वर्षों से न्यायालय की संचिका में है मामले में पत्रावली पर दिनांक 08.08.2022 को उभय पक्षों ने प्रस्तुत सुलहनामा जो कि 43 पृष्ठ का है संलग्न है । सुललनामा पर उभय पक्षों के हस्ताक्षर तथा कुछ लोगों के अंगूठे के निशान है । अमर साह का भी हस्ताक्षर अभिलेख पर है । समस्त हस्ताक्षर और सुलहनामे को अधिवक्ता अनिल तिवारी के समक्ष प्रमाणित कर हस्ताक्षरित किया गया है । तथा उन्होंने इस आशय का एक नोट भी सुलहनामे के नीचे दिया हुआ है । मामले में समस्त तथ्यों को अध्ययन किया । सिविल प्रकिया संहिता आदेश 23 नियम 3 के अवलोकन के पश्चात जैसा कि नियम 3 कहता है कि *जहां न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि वाद पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किसी विधिपूर्ण करार या समझौते के द्व ारा पूर्णतः या भागतः समायोजित किया जा चुका है या जहां प्रतिवादी वाद की पूरी विषय वस्तु के या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में वादी की तुष्टि कर देता है वहां न्यायालय ऐसे करार, समझौते या तुष्टि के अभिलिखित किए जाने का आदेश करेगा और जहां तक कि वह वाद के पक्षकारों से सम्बन्धित है चाहे करार, समझौते या तुष्टि की विषय वस्तु वहीं हो या न हो जो वाद की विषय वस्तु है वहां तब तदनुसार डिक्री पारित करेगा ।*

परन्तु जहां एक पक्षकार द्वारा यह अभिकथन किया जाता है और दूसरे पक्षकार द्वारा यह इंकार किया जाता है कि कोई समायोजन या तुष्टि तय हुई थी वहां न्यायालय इस प्रश्न का विनिश्चय करेगा, किन्तु इस प्रश्न के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए किसी सगिन की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी तब तक कि न्यायालय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा स्थगन मंजूर करना ठीक न समझे।

प्रस्तुत मामले में सुलहनामा एवं वादी संख्या 3 के आवेदन का अनुशीलन किया तत्पश्चात न्यायालय यह पाती है कि आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत किसी वाद में समझौता तभी पूर्ण होता है जब न्यायालय को समाधानपूर्वक यह साबित कर दिया जाता है कि पक्षकारों के मध्य समझौते के द्वारा वाद को पूर्णतः या भागतः समायोजित किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले में सुलहनामा के

वैधता के संबंध में सिरिस्तेदार का प्रतिवेदन भी नहीं लगा है । मामले में इस संबंध में न्यायालय में पक्षकार उपस्थित होकर शपथ पत्र पर सुलहनामे के आलोक में साक्ष्य भी नहीं दिये है । मामले में वादी संख्या 3 ने अपने आवेदन में सुलहनामे को खारिज करने की प्रार्थना की है जहां तक वादी के हस्ताक्षर का प्रश्न है उस संबंध में किसी तरह की प्रार्थना उसकी सत्यता के संबंध में न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है न तो इस संबंध में वादी सं0 3 के द्वारा कोई प्रर्कीण वाद भी न्यायालय में प्रस्तुत है अतः वादी सं0 3 के प्राथमिक आपत्ति को देखते हुए प्रस्तुत मामले में पक्षकारों के द्वारा दिनांक 08.08.2022 को प्रस्तुत सुलहनामा वादी संख्या 3 के विरुद्ध मान्य नहीं है और वादी सं0 3 के आवेदन को स्वीकृत करते हुए सुलहनामा आवेदन खारिज किया जाता है। वाद दिनांक .....अग्रिम कार्रवाई।

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।